

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 82/87-88 198 .

यह प्रमाणित किया जाता है कि कपिल स्मारक समिति
जयपुर जिला जयपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 18वीं माह जून सन् एक हजार नौ सौ तत्तालीसवीं
जयपुर में दिया गया।

(जी. एन. जर्मा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्राालय, जयपुर

Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Attn. To CDSE, NEW DELHI
Attn. No. 17397 H 301, CDSE, NEW DELHI